रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, फरवरी 7—फरवरी 13, 2016, शनिवार/माघ 18— माघ 24, 1937
No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2016, SATURDAY/MAGHA 18— MAGHA 24, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.21.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल तथा डा. राम मनोहर लोहिया और उपचर्या गृह (गैर-चिकित्सीय राजपत्रित पद) भर्ती संशोधन नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आहारविद् समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, आहारविद् भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, और ग्रेड वेतन या वेतनमान:–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आहारविद्	8* (2015) सफदरजंग अस्पताल -5 डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल -3 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या नैदानिक पोषण और आहारिकी में मास्टर डिग्री ; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के खाद्य विज्ञान और पोषण या खाद्य और पोषण आहारिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर डिग्री ; या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य और पोषण या खाद्य विज्ञान और पोषण गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र नैदानिक पोषण और आहारिकी या खाद्य और पोषण आहारिकी या आहारिकी और खाद्य सेवा प्रबंधन में बी. एस. सी. (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आहारिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ; और (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन 100 बिस्तर वाले अस्पताल या संगठन में आहारिकी में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **टिप्पण 1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष 2. आहार विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल या डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 3. निदेशक या उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल का भारसाधक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 11018/06/2011–आर आर (एम एच III/II]

संजय पंत, अवर सचिव

टिप्पण : आहारविद् पद के लिए भर्ती नियम पूर्व में सा.का.नि. सं. 1107, तारीख 20 अगस्त, 1978 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 14th December, 2015

G.S.R.21.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjang Hospital and the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital and Nursing home (Non-Medical Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' post of Dietician in Safdarjung Hospital and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Dietician, Safdarjung Hospital and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital New Delhi Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band, grade pay or pay scale:** – The number of post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dietician	8 *(2015) Safdarjung Hospital-5. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital-3. *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note 1** : (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (A)(I) Master's Degree in Food and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics from a recognised University or Institute. Or (II) Master's Degree in Food Science and Nutrition or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment

Food Service Management from a recognised University or Institute. OR (B) (I) B.Sc. Food and Nutrition or Food Science and Nutrition or Home Science or Home Economics or Clinical Nutrition and Dietetics or Food and Nutrition Dietetics or Dietetics and food service management from a recognised University or Institute; and (II) Post Graduate Diploma in Dietetics from a recognised University or Institute; and (III) One year practical experience in Dietetics in a 100 bedded hospital or organization under the Central or State Government or autonomous or Statutory body or Public Sector Undertaking or University or recognised research institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the The Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Additional Medical Superintendent of Safdarjung or Dr. Ram Manhohar Lohia Hospital, New Delhi-Chairperson (ii) Head of dietary department, Safdarjung Hospital or Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi - Member (iii) Director or Deputy Director in charge of Medical Hospital, Directorate General of Health Services. -Member (iv) Deputy Director Administration Safdarjung hospital or Dr. Ram Manohar Lohia hospital -Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F.No. 11018/06/2011-RR (MH III/II)]

SANJAY PANT, Under Secy.

Note : The recruitment rules for the post of Dietician were previously amended vide GSR No. 1107 dated 26th Aug, 1978.